लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 11/ 2023
GCMS NO. : 2023/60

प्रार्थी /अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेसपोण्डेंट्सः–
श्री राजेश कुमार/ खेमाजी कलाल, निवासी मु.पो सज्जनगढ, जिला बांसवाडा (मो.नं. 9680593538)	बनाम	उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) सज्जनगढ जिला बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 23–08–2023

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) सज्जनगढ जिला बांसवाडा** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 03–07–2023 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) सज्जनगढ जिला बांसवाडा** द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 28–07–2023 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अ[illegible]**डा** ने उनके पत्रांक 856 दिनांक [illegible] 17–08–2023 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अ[illegible] के प्रार्थना पत्र के साथ [illegible] 10/– रु का पोस्टल आर्डर संलग्न नही [illegible] सूचित कर[illegible] गया है। पुनः सामान्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिलिपि दिनांक 19.07.2023 को उपलब्ध करा दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:01:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 23–08–2023 को अपीलार्थी उपस्थित है। अपीलार्थी ने दौराने सुनवाई कथन किया कि तहसीलदार सज्जनगढ जिला बांसवाडा द्वारा ग्राम पंचायत महुडी, गांव सेवनिया के खाता संख्या 9, सर्वे नंबर 122 रकबा 1.07 बीघा भूमि की निशादेही नही की जा रही है। जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ द्वारा की गई कार्यवाही बाबत् सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपब्ध नही करवाई जा रही है।

हमने पत्रावली का एवं **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) सज्जनगढ जिला बांसवाडा** द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। प्रार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा 2 बिन्दुओ पर सूचना चाही गई है जो प्रश्नात्मक है। **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) सज्जनगढ जिला बांसवाडा** द्वारा उनके पत्रांक 856 दिनांक 17.08.2023 से इस कार्यालय में जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र 03.07.2023 के साथ 10/– रु. का पोस्टल आर्डर संलग्न नही होने से प्रार्थी को तत्काल मौखिक सूचित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) सज्जनगढ जिला बांसवाडा** द्वारा प्रार्थी को लिखित में सूचित किया जाना था, जो नही किया गया। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रावधानो के तहत प्रार्थी को विहित फीस के सन्दर्भ में पूर्ण ब्योरे सहित सूचित करे। अपीलार्थी ने दौराने सुनवाई कथन किया कि तहसीलदार सज्जनगढ जिला बांसवाडा द्वारा ग्राम पंचायत महुडी, गांव सेवनिया के खाता संख्या 9, सर्वे नंबर 122 रकबा 1.07 बीघा भूमि की निशादेही नही की जा रही है। जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ द्वारा की गई कार्यवाही बाबत् सूचना उपब्ध नही करवाई जा रही है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं.-3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजुद है। अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:01:05 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) I.A.S.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)